

प्ररूप 16  
[ देखिए नियम 69ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा "ख"

नगरपालिका / नगरपरिषद्..... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा  
नगरपालिका / नगरपरिषद्.....की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से सदस्य के  
चुनाव में प्रयोग किया जाये।

लिफाफा "ख"

सरकारी बिना टिकट

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब  
पते पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 50क (4)}

निर्वाचन-अविलम्ब

डाक मतपत्र

नगरपालिका / नगरपरिषद्..... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका /  
नगरपरिषद्.....की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से सदस्य  
के चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

\*\*.....

.....

.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर.....

.....

.....

\*\* रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।